



2026:AHC:30685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5559 वर्ष 2026

श्रीमती कलावती एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष पाण्डेय, महेंद्र कुमार पाल

प्रत्यर्था के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्था-राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्था को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्था इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्था संख्या 2 को वाद संख्या 13018 वर्ष 2023, कंप्यूटर वाद संख्या टी202317140313018 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यू.पी. रेवेन्यू कोड रूल्स, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर यू.पी. रेवेन्यू कोड रूल्स, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित होगा, जो यह अधिदेशित करता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर कानून के अनुसार निस्तारित करना आवश्यक होगा। यू.पी. रेवेन्यू कोड रूल्स, 2016 का नियम 34, उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के निर्विवाद मामले को वाद पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के प्रकाश में, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को लें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार कड़ाई से और यथाशीघ्र उसका निस्तारण करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षों के तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”